

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 269]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 जुलाई 2014—आषाढ़ 13, शक 1936

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का सं. क्र. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है. राज्य सरकार एतद्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी के स्थान पर माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2014 का राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1980 (1980 का सं. 52) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक

अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

1. पंक्ति क्रमांक 2 में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 52) की धारा 9 के स्थान पर “विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का. सं. 52) की धारा 8” प्रतिस्थापित किया जाता है।
2. माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी के स्थान पर माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी प्रतिस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2014 का राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा प्रिवेन्शन आफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का सं. क्र. 46) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। राज्य सरकार एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी के स्थान पर माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी प्रतिस्थापित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2014 का राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव।

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा चोर बाजारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 (1988 का सं. क्र. 07) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 07 अक्टूबर, 2010 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है. राज्य सरकार एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी के स्थान पर माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2014 का राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (2001 का सं. 17) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाता है. राज्य सरकार एतद्द्वारा विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24 मार्च, 2014 में निम्नानुसार संशोधन करती है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में—

1. पंक्ति क्रमांक 1 में मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (2001 का सं. 17) की धारा 9 के स्थान पर मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम, 2000 (क्रमांक 17 सन् 2001) की धारा 5 की उपधारा 1 के खण्ड (क) तथा (ख) प्रतिस्थापित किया जाता है.
1. माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. महेश्वरी के स्थान पर माननीय न्यायमूर्ति श्री यू. सी. माहेश्वरी प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2014

क्र. एफ 31-23-1980-दो-सी-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 04 जुलाई, 2014 का राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.